उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–31/2017–18

प्रमोद दास

बनाम्

वीणा देवी

–: आदेश :–

दिनांक	
25/08/17	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता प्रमोद दास, पे0–स्व0 नथन दास, सा0–राहा, अंचल–बसंतराय, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–109/2013–14 (वीणा देवी बनाम् प्रमोद दास) के आदेश दिनांक–31.01.2017 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–109/2013–14 आदेश दिनांक–31.01.2017 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–राहा के जमाबंदी सं0–76 दाग नं0–1086 रकवा 00–02–05 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–राहा के जमाबंदी सं0–76 दाग नं0–1086 रकवा 00–02–05 धुर जमीन पर वर्षों पूर्व से अपीलकर्त्ता के पूर्वज का मकान बना हुआ है एवं अपीलकर्त्ता उस मकान पर सपरिवार रहते आ रहें हैं। उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पिता–नथन दास के द्वारा विनोदी दास से कुर्फानामा के माध्यम से वर्ष 1935 ई0 में प्राप्त किया था। इसके एवज में वर्ष 1935 ई0 में नथन दास जमीन का 1500.00 रूपैया भी दिया था। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर निर्मित मकान के अलावे अन्य कोई दूसरा मकान नहीं है और यदि अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से हटा दिया जाता है तो अपीलकर्त्ता बेघर हो जायेंगे। उनका आगे कथन है कि जब भारी वर्षा के कारण अपीलकर्त्ता का मकान गिर गया था। तब अपीलकर्त्ता के द्वारा मकान का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया तो उत्तरवादी के द्वारा गैर कानूनी तरीका से अपीलकर्त्ता से रूपैया का माँग करने लगा। रूपैया नहीं देने पर उत्तरवादी के द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए उच्छेदी का वाद

दायर किया। अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए। लेकिन समय पर अपीलकर्त्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किये जाने के कारण निम्न न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है, जबकि अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर वर्ष 1935 ई0 से प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने के आधार पर अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर हक कायम हो गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ अपील के कालावधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–राहा जमाबंदी सं0–76 दाग नं0–1086 की जमीन उत्तरवादी के पति के पैतृक जमीन है, जो गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में उत्तरवादी के पति के दादा भतु चमार के नाम से दर्ज है। लेकिन अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन को वर्ष 2013 ई0 में जबरन हड़प लिया है। जिसके कारण उत्तरवादी ने अपीलकर्त्ता के विरूद्ध बसंतराय थाना में बसंतराय थाना काण्ड सं0–128/13 जी0आर0 नं0–2335/13 वीणा देवी बनाम् प्रमाद दास प्रारम्भ किया। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का यह कथन कि अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर उनके पूर्वज के समय से ही मकान बना हुआ है, बिल्कुल ही गलत एवं निराधार है तथा रूपैया भुगतान करने का बात भी गलत है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता उत्तरवादी से ज्यादा गरीब नहीं हैं। अपीलकर्त्ता को मौजा–राहा में अपना पैतृक जमीन है। अपीलकर्त्ता ने मौजा–राहा के जमाबंदी सं0–31 के दाग नं0–1099 रकवा 00–01–02 धुर जमीन पर इंदिरा आवास बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसंतराय से स्वीकृति भी ले लिया है। इंदिरा आवास के लिए स्वीकृत जमीन अब भी खाली पड़ा हुआ है। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए काफी समय भी दिया गया था। अंतिम समय भी दिया गया था। लेकिन अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा। अपीलकर्त्ता की ओर से प्रतिकूल प्रभाव से दखल से संबंधित कोई भी

कागजात दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बसंतराय के पत्रांक–07/रा0 दिनांक–04.01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–राहा थाना नं0–04 जमाबंदी नं0–76 दाग नं0–1086 कुल रकवा 00–02–05 धुर जमाबंदी रैयत भत्तु चमार वल्द जहुरी चमार वो पीरू चमार वल्द बेहारी चमार कौम चमार के नाम से दर्ज है। ग्रामीणों से पुछताछ के क्रम में बताया गया कि प्रमोद दास उक्त जमीन पर मकानमय सहन बनाकर लगभग 15–20 वर्षों से सपरिवार निवास कर रहें हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा–राहा नं0–4 जमाबंदी सं0–76 कुल रकवा 10–13–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में भत्तु चमार वल्द जहुरी चमार वो पीरू चमार वल्द बेहारी चमार कौम चमार शा0 देह के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1086 के अंदर रकवा 00–02–05 धुर जमीन कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है। अंचल अधिकारी, बसंतराय के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता प्रमोद दास उक्त जमीन पर मकानमय सहन बनाकर लगभग 15–20 वर्षों से सपरिवार निवास कर रहें हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर आवासीय मकान है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–109/2013–14 आदेश दिनांक–31.01.2017 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:18:44 +05:30
Location: 192.168.29.32